JLC
Ex.
1/10/2021

LIHQ
01/X/2021

479
05/10/21

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग।

संख्याःश्रम(ए)3—5/2021 तारीख शिमला—2, 29 सितम्बर, 2021

प्रारूप अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1969(1969 का 10) की धारा 23 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्न—

(i) हिमाचल प्रदेश इन्डसट्रिअल डिसप्यूट रूल्ज, 1974;
(ii) इण्डसट्रिअल इम्पलाइमैंट (स्टैंडिंग आर्डर) हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1973; और
(iii) हिमाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन रेगुलेशनज, 1978,

जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों या किए गए लोप के सिवाय उक्त औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 104 द्वारा निरसित किया गया है, के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते है और इन्हें राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में जन साधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन प्रारूप नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप और सुझाव है/हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, निदेशालय श्रम एवं रोजगार को भेज सकेगा।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः—

3/10/21

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संबंध नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से" से संहिता के प्रयोजन हेतू कोई सूचना जिसे ई–मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या जिसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में है।

3. सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता– धारा 2 के खंड (यझ) के अधीन नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए करार प्रपत्र–1 में निर्दिष्ट प्रपत्र होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय–2

द्विपक्षीय अधिकरण

4. समिति का धारा 3 के अधीन संकर्म गठन:– (1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, वह तत्काल संकर्म समिति का गठन करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

(2) संकर्म समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या नियत की जाएगी ताकि विभिन्न प्रवर्गों, समूहों और लगाए गए कामगारों के वर्ग और अनुभाग, दुकानों या स्थापनों के विभागों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके:

परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। परन्तु संकर्म समिति के सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(3) इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन संकर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक स्थापन के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे से सम्पर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहां औद्योगिक स्थापन का कोई भी कामगार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा कि कितने कर्मचारी ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड युनियन द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसी ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात् सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप–नियम (4)के अधीन मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:–

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में संकर्म समिति के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं; और

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां कामगार संकर्म समिति के लिए अपने में से प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) संकर्म समिति में अपने पदाधिकारियों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा कर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्म समिति में से ही चुना जाएगा;

परन्तु उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में मामलें का पर्ची डालकर विनिश्चम किया जाएगा;

(घ) कर्म समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी; किन्तु जहां सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, तो संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों में से और विपर्ययेन चुना जाएगा;

परन्तु, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव का पद, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा दो लगातार वर्षों के लिए धारित नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, कामगार के प्रतिनिधियों में से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ही ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे; और

(ङ) खंड (घ) के अधीन किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, मामलें का पर्ची डालकर विनिश्चय किया जाएगा;

(7) (क) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से अन्यथा संकर्म समिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती अपर्यवसित पदावधि हेतु पद धारण करेगा;

(ग) कोई सदस्य, जो संकर्म समिति से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप–नियम (7) के खंड (ग) के अधीन सदस्य न रहने या स्थापन में नियोजित नहीं रहने या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की दशा में उसका उत्तराधिकारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार उसी समूह में से चुना जाएगा जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित रहा है।

(9) संकर्म समिति को परामर्शकर्ता की हैसियत से सहयोजित करने का अधिकार होगा, औद्योगिक स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को जिन्हें किसी विचाराधीन विषयों का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसे सह–योजित सदस्य वोट डालने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिस दौरान संकर्म समिति के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) संकर्म समिति जितनी बार आवश्यक हो, बैठके बुला सकती है किन्तु यह तीन महीनों में एक बार से कम नहीं होगी; और

(ख) संकर्म समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता संकर्म समिति की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा, वह संकर्म समिति और उसके सदस्यों को कर्म समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। कर्म समिति सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापन के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगारों के प्रतिनिधि को ड्यूटी पर माना जाएगा; और

(ख) संकर्म समिति का सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर संकर्म समिति के काम की बाबत नोटिस लगा सकेंगे।

5 शिकायत निवारण समिति के लिए धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया:– शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक स्थापन के विभागों के प्रमुख यथासंभवतः औद्योगिक स्थापन के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या से सहयुक्त अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है तो सदस्य को औद्योगिक स्थापन के कामगारों द्वारा चुना जा सकता है:

परन्तु यह कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसे प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा;

परन्तु यह और कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की पदावधि के साथ को–टर्मिनस (समकालिक) होगी;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

(4) जहां औद्योगिक स्थापन का कोई भी कामगार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, नियोक्ता तो ऐसी ट्रेड यूनियन को लिखित रूप में उसे निम्न सूचित करने के लिए कहेगा–

(क) कितने कामगार ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसे ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात् सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है जो पक्षकारों को सुनने के बाद, मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन माँगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित दो समूहों द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधित्व के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा; और

(ख) ऐसे कामगार जो किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकेंगे।

6. किसी व्यथित कामगार द्वारा धारा 4 की उप–धारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी विवाद की बाबत आवेदन– कोई व्यथित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहाँ तैनात किया गया है, सेवाकाल (वर्षों में) कामगार का प्रवर्ग, पत्राचार के लिए पता, सम्पर्क नम्बर शिकायतों का विवरण और मांगी गई राहत के ब्यौरे देते हुए उसमें उसके बाद का कथन करते हुए आवेदन दायर कर सकेगा। ऐसा आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य से भेजा जा सकेगा। शिकायत ऐसी तारीक जिसको ऐसे बाद का हेतुक उत्पन्न हुआ है, से एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी।

7. सुलहकर्ता अधिकारी के पास धारा 4 की उप–धारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह हेतु आवेदन दाखिल करने की

रीति– कोई कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह, यथास्थिति, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख जिस को धारा 4 की उप–धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट के माध्यम से या राज्य पोर्टल, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन की रजिस्ट्रीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाथ से प्राप्ति की दशा में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटीकृत करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रविष्टि उपरोक्त राज्य पोर्टल में संबंधित कामगार को सूचना के अध्यायधीन दर्ज करेगा।

अध्याय–3
ट्रेड यूनियन

8. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 8 के अधीन आवेदन का प्ररूप.– ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से "प्ररूप–2" में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को किया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस.–किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय फीस केवल 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) होगी।

10. ट्रेड यूनियन की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और रद्दकरण.– (1) धारा 9 में निर्दिष्ट ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रर "प्ररूप–3" में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 9 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र "प्ररूप–4" में होगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु धारा 9 की उपधारा 5(i) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदन पर स्वीकृति देने से पूर्व अपना समाधान करेगा कि

31/10/21

रजिस्ट्रीकरण का प्रतिहरण या रद्दकरण ट्रेड यूनियन की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था या यदि यह इस प्रकार अनुमोदित नहीं किया गया था तो इसे ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां मांग सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझें, और यूनियन के किसी भी पदाधिकारी का परीक्षण कर सकेगा, रजिस्ट्रार प्रमाण–पत्र के रद्दकरण के बारे में कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें ट्रेड यूनियन को संसूचित कर देगा।

(4) रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण को ट्रेड यूनियन द्वारा संहिता के उपबंधों के उल्लघंन की बाबत धारा 9 की उपधारा (5) खण्ड–II के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रद्द भी कर सकेगा।

11. अपील.– संहिता की धारा 10 के अधीन की गई कोई अपील, उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रार ने उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को पारित किया है, से साठ दिन के भीतर अवश्य दायर की जाएगी।

12. नियमों मे परिवर्तन.– (1) संहिता की धारा 11 (3) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन के नियमों में किए गए परिवर्तन की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि उसके विश्वास का कारण नहीं है कि परिवर्तन ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा उपबंधित रीति में नहीं किया गया है, तो इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किए गए रजिस्ट्रर में परिवर्तन को दर्ज करेगा और ट्रेड यूनियन के प्रधान/महा सचिव को यह तथ्य सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है।

(2) नियमों में परिवर्तनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस, साथ–साथ किए गए परिवर्तनों के प्रत्येक सेट के लिए रू० 200/– (दो सौ रूपये) होगी।

13. ट्रेड यूनियन के नाम और समामेलन की धारा 24 के अधीन परिवर्तन.– (1) किसी ट्रेड यूनियन के नाम में किसी परिवर्तन का नोटिस "प्ररूप–5" में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(2) ट्रेड यूनियन के प्रत्येक समामेलन का नोटिस "प्ररूप–6" में द्विप्रतीक में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(3) जब रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (5) और (6) के अधीन क्रमशः नाम में परिवर्तन या समामेलन रजिस्टर कर लेता है तो वह प्रमाण–पत्र के निम्न भाग (फुट नोट) पर अपने हस्ताक्षराधीन प्रमाणित करेगा कि नया नाम और समामेलन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है।

14. रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का धारा 25 (i) के अधीन विघटन.–जब कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन विघटित की जाती है तो उसके विघटन का नोटिस 'प्ररूप–7' में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. निधियों का धारा 25 (ii) के अधीन विभाजन.– जहां रजिस्ट्रार को धारा 25 (2) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन, जिसे विघटित किया गया है, की निधियों के विभाजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह सदस्यों द्वारा उनकी सदस्यता के दौरान अभिदान स्वरूप अभिदाय की गई राशियों के अनुपात में निधियों का विभाजन करेगा।

16. वार्षिक विवरणीयाँ.– धारा 26 (1) (क) के अधीन 'प्ररूप–8' में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।

17. वार्षिक संपरीक्षा.– (1) किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के लेखों की वार्षिक संपरीक्षा को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 144 (1) के अधीन कम्पनियों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तिय वर्ष के दौरान किसी भी समय 2500 से अधिक नहीं थी वहां लेखो की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगी: –

(क) स्थानीय निधि लेखा के किसी परीक्षक द्वारा ; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा; या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो 200 रूपये प्रति मास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो।

(3) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तिय वर्ष के दौरान किसी भी समय 750 से अधिक नहीं रही हो तो लेखों की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगी:–

(क) मजिस्ट्रेट या न्यायधीश के रूप में या किसी नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पदधारित करने वाले किन्ही दो व्यक्तियों द्वारा; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो सरकार से 75/– रूपये प्रतिमास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो; या

(ग) सरकार या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा।

(4) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तिय वर्ष के दौरान किसी भी समय 250 से अधिक नहीं रही तो, वहां लेखों की वार्षिक सपरीक्षा संघ (यूनियन) के किन्ही दो सदस्यों द्वारा संचालित की जाएगी।

(5) जहां ट्रेड यूनियन यूनियनों का महासंघ है और इससे सहबद्ध यूनियनों की संख्या वित्तिय वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 50, 15 या 5 से अधिक नहीं रही हो वहां महासंघ के लेखों की संपरीक्षा इस प्रकार संचालित की जा सकेगी मानो इसकी वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 2500, 750 या 250 से अधिक की सदस्यता नहीं थी।

18. व्यक्ति की संपरीक्षा करने की पात्रता.– विनियमन 46 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसे उस वर्ष, जिसके लिए लेखाओं की संपरीक्षा की जानी है, के दौरान किसी भी समय ट्रेड यूनियन से सम्बान्धित निधियों या प्रति भूतियों का कोई भाग न्यस्त किया गया था तो वह उस यूनियन के लेखाओं की संपरीक्षा करने का पात्र नहीं होगा।

19. ट्रेड यूनियन की बहियों तक पहुंच.– विनियमन के अनुसार नियुक्त संपरीक्षक या संपरीक्षकों को ट्रेड यूनियन की समस्त बहियों तक पहुंच होगी और वे लेखों और उनसे सम्बन्धित वाउचरों की वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेगें और तत्पश्चात 'प्ररूप–8' से

संलग्न संपरीक्षक की घोषणा को उस प्ररूप पर पृथकत अपने हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षर उपदर्शित करके और यह अभिकथन करते हुए कि किस हैसियत से उसने या उन्होने विवरणी को असंगत, वाउचर रहित या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अनुसार नही पाया है, हस्ताक्षर करेगा।

इस अभिकथन में दी गई विशिष्टियाँ उपदर्शित करेगी:–

(क) प्रत्येक संदाय जो ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा अप्राधिकृत या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतीत होता है;

(ख) किसी क्षति (कमी) या हानि की रकम, जो किसी व्यक्ति की उपेक्षा या अवचार के कारण उपगत हुआ प्रतीत होता है; और

(ग) किसी राशि की रकम जो दर्शाई जानी थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखें में दर्शित नहीं गई है।

20. राजनैतिक निधि की संपरीक्षा.– किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन की राजनैतिक निधि की संपरीक्षा ट्रेड यूनियन की साधारण लेखा संपरीक्षा के साथ उसी सपरीक्षक या संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

21. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रर का निरीक्षण.– (1) विनियमन 39 (1) के अनुसार अनुरक्षित ट्रेड यूनियनो का रजिस्ट्रर को किसी भी व्यक्ति द्वारा एक सौ रूपये की फीस के संदाय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन से प्राप्त रजिस्ट्रार के कब्जे में किसी दस्तावेज को उस यूनियन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रत्येक निरीक्षित दस्तावेज के लिए केवल 50 (पचास रूपये) की फीस के संदाय पर निरीक्षित किया जा सकेगा।।

(3) दस्तावेज प्रत्येक दिवस, जब रजिस्ट्रार का कार्यालय खुला रहता है और ऐसे समय के भीतर जैसे रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किए जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य को किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति प्रत्येक सौ पृष्ठों के लिए या उसके भिन्न भाग के लिए केवल 200/– (दो सौ रूपये) के संदाय पर प्रदाय कर सकेगा।

22. ट्रेड यूनियन द्वारा बहियों का अनुरक्षण.– प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन इसके लेखों की संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिए निम्न लिखित बहियों और रजिस्ट्ररों का अनुरक्षण करेगी:–

(1) "प्ररूप–9" में सदस्यता और अभिदानों का रजिस्ट्रर।
(2) साधारण निधि लेखा की प्राप्तियों और संवितरणों का रजिस्ट्रर।
(3) समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की कार्यकृत पुस्तक।
(4) यूनियन की स्थावर सम्पति से सम्बन्धित फर्नीचर, फिटिंग्स (सजावट) और मूल्यावान दस्तावेंजों को दर्शाने वाला स्टॉक और प्लांट रजिस्ट्रर।
(5) मशीन संख्याकित अभिदान रसीद पुस्तक (बुक)।
(6) राजनैतिक निधि के लिए रसीदों और संवितरणों का रजिस्ट्रर (यदि कोई राजनैतिक निधि है)।
(7) वाउचरों की फाइल।

अध्याय–4
स्थायी आदेश

23. प्रमाणित करने वाले अधिकारी को धारा 30 की उप–धारा (3) के अधीन सूचना अग्रेषित करने की रीति.– (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों की बाबत धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश अंगीकृत करता है तो वह संबंधित प्रमाणकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विनिर्दिष्ट तारीख जिस से आदर्श स्थायी आदेश के उपबन्ध जो उसके स्थापन से संगत हैं, को अंगीकृत किया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप–नियम (1) में सूचना प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी ऐसी प्राप्ति से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिका टिप्पणी दे सकेगा कि नियोक्ता को कतिपय उपबन्ध, जो उसके स्थापन से सम्बन्धित है, इसमें शामिल करना अपेक्षित है और आदर्श स्थायी आदेश के उन सुसंगत उपबंधों, जिन्हें अंगीकृत नहीं गया है को उपदर्शित कर सकेगा और नियोक्ता को ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इस प्रकार अंगीकृत स्थायी आदेश में परिवर्धन, विलोपन या उपान्तरण द्वारा संशोधन करने का भी निर्देश देगा और केवल उन उपबंधों की बाबत, जिन्हें प्रमाणकर्ता अधिकारी संशोधित करने की मांग करता हैं के बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांग सकेगा और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) यदि उप–नियम (1) और (2) में यथा निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा कोई टिका–टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को अंगीकृत किया गया समझा जाएगा।

24. प्रमाणन अधिकारी द्वारा जहां कोई ट्रेड यूनियन संचालन में नहीं है वहां औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए नोटिस धारा 30 की उप–धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन नोटिस जारी करने की रीति जहां

उक्त उप–धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट के अनुसार ऐसी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर स्थायी आदेश की एक प्रति को आक्षेप (आक्षेपों), यदि कोई हो, जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश को करने की वांछा करे, अग्रेषित करेगा।

25. प्रमाणित स्थायी आदेशों को धारा 30 की उप–धारा (8) के अधीन सत्यापन की रीति.– धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में उपांतरण या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां यथास्थिति प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, किन्तु उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों के अंगीकरण को प्रमाणित किया है वहां धारा 30 की उप–धारा (3) के तहत डीम्ड प्रमाणन के मामलों में किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

26. प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन संलग्न की जाने वाली विवरणी– विवरणी निम्न से संलग्न –

(i) प्रारूप स्थायी आदेश में, विशिष्टतया जैसे कि संबंधित औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम का नाम, पता, ई–मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें नियोजित कामगारों की संख्या के साथ–साथ उस ट्रेड यूनियन जिससे ऐसे कामगार सम्बन्धित है की विशिष्टियाँ भी सम्मिलित होगी; और

(ii) विद्यमान स्थायी आदेशों में प्रारूप उपांतरण, ऐसे स्थायी आदेशो की विशिष्टियाँ, जो कि एक सारणीकृत विवरणी, जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध के ब्यौरे और उसमें प्रस्तावित उपांतरण और उसके कारण सहित उपांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, अन्तर्वलित होगी तथा ऐसी विवरणी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

27. सपरूप स्थापन में प्रारूप स्थायी आदेश को धारा 30 की उप–धारा (10) के अधीन प्रस्तुत करने की शर्तें– समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (समान प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामले में धारा 30 के अधीन और इसकी उप–धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संबंधित ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त कार्यवाहियों के लिए प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं:

परन्तु समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (एक प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के परामर्श से उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

28. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 32 के अधीन अपील के निपटान की रीतिः–

(1) कोई नियोक्ता अथवा ट्रेड यूनियन जो धारा 30 की उप–धारा (5) के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सारणी रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित या उपांतरित या लोप किया जाना अथवा उसमें जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारण इसमें कथित होगें और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक रूप से दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा–

(क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां, यथास्थिति, औद्योगिक स्थापन के कामगारों के ट्रेड यूनियन को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को,

(ख) जहां अपील किसी ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक स्थापन के कामगारों के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों को; और

(ग) जहां अपील कामगार के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) अपीलय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप–नियम (2) के अधीन नियत तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य, जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर सुसंगत माना गया हो, को लेगा और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटान करेगा।

29. स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे बनाए रखने की धारा 33 की उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन रीति– (1) धारा 30 के अधीन डीम्ड सत्यापन के मामले के सिवाय सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से सत्यापित या ड्रीम्ड सत्यापित स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अधीन अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में अनुरक्षित रखा जाएगा।

30. स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए धारा 34 के अधीन रजिस्टर.–

(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनों के समस्त प्रमाणित अथवा डीम्ड प्रमाणित अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:

(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को समनुदेशित विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन का स्वरूप

(घ) प्रत्येक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या डीम्ड प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; और

(च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसे अन्य ब्यौरे जो सुसंगत और सहायक हो तथा ऐसे समस्त स्थाई आदेशों के डेटाबेस का सृजन करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रमाणित स्थाई आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थाई आदेशों, के प्रति पृष्ठ बीस रूपए के सदाय पर उसकी प्रति की पूर्ति कराएगा। ऐसे प्रयोजनार्थ सदाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भी किया जा सकता है।

31. स्थाई आदेश में उपांतरण हेतु धारा 35 की उप–धारा (2) के अधीन आवेदन– धारा 35 की उप–धारा (2) के अधीन विद्यमान स्थाई आदेश में उपांतरण के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सारणीकृत विवरणी जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंधों के ब्यौरे तथा उनमें प्रस्तावित उपांतरण तथा, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों के ब्यौरे सहित ऐसे स्थाई आदेश जिनका उपांतरण किया जाना है कि विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय–5
परिवर्तन का नोटिस

32. प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु धारा 40 के खण्ड (झ) के अधीन नोटिस देने की रीति:(1)कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन करने का आशय रखता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को प्ररूप–II में नोटिस देगा।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन के संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या एक से अधिक ट्रेड यूनियनें हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति, यथास्थिति, ऐसे ट्रेड यूनियन के सचिव या ऐसे ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक सचिव को दी जाएगी।

अध्याय–6
विवादों को माध्यस्थम हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

33. माध्यस्थम करार का धारा 42 की उप–धारा (3) के अधीन प्ररूप एवं उसकी रीति– (1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो

जाते हैं, वहां माध्यस्थम करार प्रपत्र–II में होगा तथा करार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। करार के साथ माध्यस्थ अथवा माध्यस्थों की या तो लिखित या इलेक्ट्रोनिक रूप से सहमति होगी।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित माध्यस्थम करार पर निम्न द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,–

(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा या जहां नियोक्ता निगमित कम्पनी है या अन्य निगमित कार्पोरेट निकाय है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के अभिकर्ता (एजेंट), प्रबंधक या अन्य अधिकारी द्वारा;

(ii) कामगारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस निमित्त सभयक रूप से प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा,

(iii) किसी व्यैक्तिक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा, जिसका कामगार सदस्य है।

स्पष्टीकरण– (क) इस नियम में, पद 'अधिकारी' से, ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी या नियोक्ता संगम अभिप्रेत है।

(ख) इस नियम में 'अधिकारी' से, निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात्:–

क) अध्यक्ष;

ख) उपाध्यक्ष;

ग) सचिव (महासचिव सहित)

घ) संयुक्त सचिव; और

ङ) यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ट्रेड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी।

34. अधीन अधिसूचना जारी करने की धारा 42 की उप–धारा (5) के रीति– जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम हेतु संदर्भित किया गया है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि संदर्भित करने वाला व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं और कामगारों की सूचना के लिए जो इस माध्यस्थम करार के पक्षकार नहीं है परन्तु विवाद से संबंधित है, इस निमित्त राजपत्र में तथा इलेक्ट्रोनिक रूप से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त मध्यास्थ या मध्यास्थों के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

35. जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप–धारा (5) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति– जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42

की उप–धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में माध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्ररूप XII में धारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय–7
औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु क्रिया–विधि

36. रिक्ति को धारा 44 की उप–धारा (9) के अधीन भरने की रीति तथा राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की धारा 44 की उप–धारा (4) और (5)के अधीन प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें– (1) राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य (जिसे इस अध्याय में न्यायिक सदस्य के रूप में संदर्भित किया गया है) की नियुक्ति के लिए अर्हता ऐसी होगी जैसी धारा 44 की उप–धारा (4) में उपबंधित की जाए।

(2) राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सदस्य की नियुक्ति उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट सह–चयन खोजबीन एवं चयन (एससीएससी) की सिफारिश पर की जाएगी।

(3) खोजबीन एवं चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:–

(i) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश –अध्यक्ष;

(ii) राज्य औद्योगिक अधिकरण का पद छोड़ रहा न्यायिक सदस्य–सदस्य;

(iii) प्रधान सचिव, श्रम और रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार–सदस्य; और

(iv) प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार–सदस्य।

(4) खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और राज्य औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, गत कार्य निष्पादन (प्रदर्शन) का रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ न्यायनिर्णयन अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु, जो यह उचित समझे, दो या तीन व्यक्तियों, के एक पैनल की सिफारिश करें।

(5) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति या खोजबीन एवं चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु, जो भी पूर्वत्तर हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामलें में, राज्य सरकार किसी अन्य राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।

(8) (क) न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/– रूपए (नियत) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह राज्य सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा जिससे वह संबंधित हैं, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (राज्य सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा उन्हे राज्य औद्योगिक अधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(10) न्यायिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन मान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर से मकान किराए भत्ते का पात्र होगा।

(11) (क) सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को यथा अनुज्ञेय अवकाश अनुज्ञेय होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन मान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय अवकाश अनुज्ञेय होगा।

(12) (क) न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी; और

(ख) न्यायिक सदस्य के विदेशी दौरे के लिए स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(13) सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं भी लागू होंगी।

(14) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(15) न्यायिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।

(16) न्यायिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का भी पात्र होगा।

(17) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस बाबत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न किया जाए।

(18) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर कदाचार का कोई निश्चित आरोप या इस पद पर कार्य करने की असमर्थता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापनीय शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्राथमिक जांच करने पर, राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा किसी कदाचार या असमर्थता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोजबीन एवं चयन समिति को संदर्भित करेगी।

(ग) खोजबीन एवं चयन समिति इस जांच को छः माह या ऐसे और समय के भीतर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में पूरा करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के पश्चात्, खोजबीन एवं चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) खोजबीन एवं चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी तथा उसके पास अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(19) न्यायिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय पर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:

परन्तु यह कि न्यायिक सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे पहले ही अपना पद त्यागने के लिए अनुमति न दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में समयक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पूर्वत्तर हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार, खोजबीन एवं चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो; या

(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिससे न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार से दुरूपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो:

परन्तु जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(21) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न फॉर्म–13 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किए गए हैं, राज्य औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार इसके विनिश्चिय हेतु भेजा जाएगा, तथा इस पर सरकार का विनिश्चय बाध्य होगा।

(23) राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किसी/किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग की बाबत में शिथिल करने की शक्ति होगी।

37. राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की धारा 44 की उप–धारा (3) के अधीन रिक्ति भरने की रीति और धारा 44 की उप–धारा (4) और (5) के अधीन उसके चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य निबंधन और शर्तों हेतु प्रक्रिया–(1) राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति हेतु अर्हता (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में प्रशासनिक सदस्य के रूप में संदर्भित किया गया है) ऐसी होगी जैसी धारा 44 की उप–धारा (4) में दी जाए।

(2) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएसी) की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) खोजबीन एवं चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(i) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश –अध्यक्ष;

(ii) राज्य औद्योगिक अधिकरण का पद छोड़ रहा प्रशासनिक सदस्य–सदस्य;

(iii) प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार–सदस्य; और

(iv) प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार–सदस्य।

(4) खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और, राज्य औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, गत कार्य–प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ अनुभव पर विचार करने के पश्चात् उक्त पद पर नियुक्ति हेतु, जो यह उचित समझें, दो या तीन

व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) खोजबीन एवं चयन समिति में एक रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(7) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(8) प्रशासनिक सदस्य को 2,25,000/–(नियत) प्रतिमाह के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतनमान प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर पदस्थ किसी अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित उसके विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (राज्य सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे; और

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। राज्य औद्योगिक अधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

(10) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

(11) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में छुट्टी, सेवा जिससे वह सम्बन्धित है के विद्यमान नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगी; और

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में छुट्टी राज्य सरकार के समान वेतन पाने वाले समूह 'क' पद के किसी अधिकारी को यथा–अनुज्ञेय अनुसार होगी।

(12) (क) राज्य सरकार सदस्य के लिए छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी होगी; और

(ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।

(13) समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर सरकार के अधिकारी को यथा–अनुज्ञेय राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होंगी।

(14) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा; और

(ख)सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, नियत कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर तक राज्य औद्योगिक अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय और इसके विपर्यवेन स्थानांतरण यात्रा भत्ता हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(15) प्रशासनिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा।

(16) प्रशासनिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय परिवहन भत्ते का पात्र होगा।

(17) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

(18) (क) यदि राज्य सरकार को कोई लिखित और सत्यापनीय शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य–निष्पादन करने की असमर्थता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह खोजबीन एवं चयन समिति को जांच करने के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(ग) खोजबीन एवं चयन समिति इस जांच को छह माह, या ऐसे और समय के भीतर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पूरा करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के बाद, खोजबीन एवं चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग–अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) खोजबीन एवं चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी।

(19)कोई प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है:

परन्तु यह कि प्रशासनिक सदस्य जब तक कि उसे, राज्य सरकार द्वारा पहले ही अपना पद त्यागने की अनुमति न दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के समयक् रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसके कार्यकाल की समाप्ति होने तक, जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार, खोजबीन एवं चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से निष्कासित कर देगी, जो–

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध का दोषी पाया गया हो; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य लाभ उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों की निष्पक्षता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो, कि उसका अपने पद पर बना रहना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो;

परन्तु यह कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(21) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप 13 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं बनाए गए हैं, राज्य औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके विनिश्चय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

(23) राज्य सरकार को कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किसी/किन्ही उपबंधो को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

38. सुलह कार्यवाही करने की उप–धारा (1) के अधीन पद्धति, पूर्ण रिपोर्ट की उपधारा, धारा (4) के अधीन तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चिय लेने की धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन रीति– (1) (क) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अधीन नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद अन्य सुलह अधिकारी के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में वह संबंधित पक्षकारों को सुलह संबंधी कार्रवाई आरंभ करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए पहला नोटिस जारी करेगा।

(ख) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में क्रमशः अपने–अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(ग) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है।

(2) यदि उप–नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी राज्य पोर्टल जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा या रिपोर्ट की संपठनीय प्रति/साफ्ट प्रति (यदि साध्य हो), विवाद के समस्त पक्षकारों को उस तारीख, जिसको सुलह कार्यवाहियां समाप्त हुई है और उक्त राज्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, से सात दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(3) उप–नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त राज्य पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी।

(4) उप–नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट मे अन्य बातों के साथ–साथ, यथास्थिति, नियोजक, कामगार या ट्रेड यूनियन के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इन्कार के कारण तथा सुलह अधिकारी को निष्कर्ष भी शामिल होगा।

(5) सुलह कार्यवाहियों के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात्, कोई भी संबंधित पत्रकार उप–नियम (3) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के उक्त राज्य पोर्टल के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से अधिकरण के समक्ष प्रारूप–14 में आवेदन कर सकेगा।

(6) सुलह कार्यवाहियों के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णयन हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। अधिकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निदेश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाए या सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(7) अधिकरण, यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, तो अधिकरण शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और

इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ–ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे।

(8) यदि अधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो अधिकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निदेश देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।

(9) साक्ष्य, अधिकरण में अभिलिखित किया जाएगा या शपथ–पत्र पर दर्ज कराया जा सकेगा लेकिन शपथ–पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ–पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से प्रति परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां अधिकरण निपटान किए जा रहे सार का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करते समय, अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) साक्ष्य के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाए या तर्कों के लिए तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से तीस कार्य दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी:

(11) अधिकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा:

परंतु अधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा।

(12) यदि कोई पक्षकार किसी स्तर में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो अधिकरण प्रकरण पर एक–पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है:

परंतु अधिकरण निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एक–पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा।

(13) अधिकरण अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित पक्षकारों और राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर राज्य पोर्टल पर अपलोड करेगा। राज्य सरकार भी निर्णय को राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करेगी।

(14) अधिकरण, किसी व्यक्ति जिसका साक्ष्य मामले पर निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, को सम्मन कर जांच कर सकेगा और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(15) जहां अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप–धारा (5) के अधीन इसे सलाह देने के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति की जाती है, वहां अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ऐसे मूल्यांककों की सलाह लेगा, लेकिन यह सलाह इन अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह अधिकरण या राज्य औद्योगिक अधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शुल्क निम्नलिखित पद्धति से जमा करने के पश्चात् निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, अर्थात्:–

(क) अधिकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु फीस 10 रूपए प्रति पृष्ठ की दर पर प्रभावित की जाएगी;

(ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए, 10 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा;

(ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रौनिक रूप में देय होगा; और

(घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहां इस नियम के अधीन वसूलीय शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(17) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को परीक्षा, प्रति–परीक्षा तथा साक्ष्य मांगे जाने पर अधिकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(18) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगी:

परन्तु अधिकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता है:

परन्तु यह और भी कि अधिकरण किसी भी चरण में निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

अध्याय–8
हड़ताल और तालाबंदियां

39. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप–धारा (4) के अधीन ऐसे नोटिस देने की रीति– धारा 62 की उप–धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक को प्ररूप 15 में दिया जाएगा जो ऐसे औद्योगिक स्थापन से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव और पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा, इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संबंधित

श्रम निरीक्षक एवं सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए समयक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

40. तालाबंदी का नोटिस देने की उप–धारा (5) के अधीन तथा प्राधिकरण की धारा 62 की उप–धारा (6) के अधीन रीति– (1) धारा 62 की उप–धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा प्ररूप 16 में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापन का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप–धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

अध्याय–9
बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

41. कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन रीति– यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा रखता है जो उसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो ऐसा नियोजक राज्य सरकार और सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक एवं सुलह अधिकारी को ई–मेल के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप 17 में ऐसी छंटनी का नोटिस देगा।

42. छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु धारा 72 के अधीन अवसर देने की रीति– जहां किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक स्थापन के कामगार मौजूद हों, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक है को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई–मेल के माध्यम से कम–से–कम दस दिन पहले अवसर की पेशकश

करेगा। यदि ऐसे कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें अधिमान देगा।

43. आशयित बंदी के लिए नियोजक द्वारा धारा 74 की उप–धारा (1) के अधीन नोटिस देने की रीति– यदि नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखता है, तो वह ऐसी बंदी का नोटिस राज्य सरकार को प्ररूप 17 में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक को ई–मेल या रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

अध्याय–10

कतिपय स्थापनों में बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष उपबन्ध

44. आशयित बर्खास्तगी के लिए नियजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की रीति– धारा 78 की उप–धरा (2) के अधीन रीति धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्ररूप 18 में आशयित बर्खास्तगी के कारणों का इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति हेतु आवेदन किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रौनिक रूप में और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ–ही–साथ भेजी जाएगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

45. बर्खास्तगी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु धारा 78 की उप–धारा (3) के अंतर्गत आवेदन करने की रीति– नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन के धारा 78 की उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगारों के अलावा) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से बर्खास्त कर दिया गया हो, ऐसी बर्खास्तगी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक स्थापन में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, बर्खास्तगी की तारीख तथा इस बर्खास्तगी को जारी रखने के कारण सूचित करते हुए ; दिनों की संख्या का उल्लेख करते हुए बर्खास्तगी जारी रखने की अनुमति हेतु श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और अधिकारिता क्षेत्र का सम्बद्ध अधिकारी को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

46. समीक्षा हेतु धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन समय–सीमा – राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की

उप–धारा (4) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

47. कामगारों को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की धारा 79 की उप–धारा (2) के अधीन प्रणाली–धारा 79 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्ररूप 18 में दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक स्थापन के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

48. समीक्षा की धारा 79 की उप–धारा (6) के अधीन समय–सीमा– राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख, जब यह आदेश जारी किया गया, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप–धारा (3) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

49. किसी औद्योगिक स्थापन को आशयित बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप–धारा (1) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली– कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक स्थापन को बंद करने का विचार रखता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन से बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को पूर्व अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म 18 में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ–ही–साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

50. समीक्षा की धारा 80 की उप–धारा (5) के अंतर्गत समय–सीमा– राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश पारित किया गया है, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप–धारा (2) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

अध्याय–11
कामगार पुनर्कौशल निधि

51. निधि को उपयोग करने की धारा 83 की उप–धारा (3) के अधीन रीति.– प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अधीन किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम एवं रोजगार विभाग

हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनकौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के संबंध में अंतरिम आहरित पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ राज्य सरकार को उनके संबंधित खाते में राशि अंतरित करने में सक्षम करेगी।

अध्याय–12
अपराध और शास्तियाँ

52. राजपत्रित अधिकारी द्वारा धारा 89 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के गठन की रीति और विनिर्दिष्ट किसी अपराध के प्रशमन करने हेतु धारा 89 की उप–धारा (4) के अधीन आवेदन करने की रीति– (1) धारा 89 की उपधारा (1), के अधीन अपराधों के प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अधीन प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी प्ररूप 19 में अभियुक्त को राज्य सरकार के समाधान पोर्टल (यदि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है) या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे प्ररूप के भाग–1 में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ–साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरणों को अंतर–निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, प्रशमन राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध का प्रशमन नहीं हुआ है तो प्ररूप का भाग–II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और प्ररूप के भाग–III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे, यदि वह अपराध का प्रशमन चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अद्वित्तीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान निरीक्षण का ढंग होगें।

(2) जिन अभियुक्तों को उप–नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा समयक् रूप से भरे गए प्ररूप के भाग III में इलेक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और प्रशमन राशि को नोटिस की

प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रौनिक रूप से या अन्यथा जमा कर सकते है।

(3) जहां अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में संस्थित किया गया है तो वह न्यायालय में उसके विरूद्ध अपराध के प्रशमन को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के उपबंधो के अनुसरण में प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप–नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा; और

(क) यदि अभियोजन से पूर्व अपराध को शमन कर दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप–नियम (3) के अधीन अभियोजन संस्थित होने के बाद अपराध का शमन किया जाता है, तो, प्रशमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा मानो कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अधीन प्रशमन के अनुसार कार्यवाही करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यधीन प्रशमन अधिकारी इस नियम के अधीन अपराध का प्रशमन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–13
प्रकीर्ण

53. धारा 90 की उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के अधीन संरक्षित कामगार– (1) किसी औद्योगिक स्थापन, जिसको यह संहिता लागू होती है, से सहबद्ध प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस स्थापन में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में 'संरक्षित कामगार' के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता धारा 90 की उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ 'संरक्षित कामगार' की मान्यता देगा और उप–नियम (1) के अधीन नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची, ऐसी संसूचना की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लिखित में यूनियन को संसूचित करेगा ।

(3) जहां नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप–धारा (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के लिए अनुज्ञेय संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, तो नियोक्त के कामगारों की केवल ऐसी अधिकतम संख्या को ही संरक्षित कामगारों के रूप मे मान्यता होगी।

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को उसके लिए आबंटित संरक्षित कानगारों की संख्या लिखित रूप में सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि जहां इस उप–नियम के अधीन किसी संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या तो संघ संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता दिए जाने वाले अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अधीन 'संरक्षित कामगारों' की मान्यता से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी रजिस्ट्रीकृत यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संबंधित क्षेत्र के श्रम अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

54. व्यथित कामगार द्वारा धारा 91 के अधीन शिकायत करने की रीति–(1) संहिता की 91 के धारा अधीन प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत रूप से डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप 20 में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लेखित विरोधी पक्षकार की संख्या के समान प्रतियां भी होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, शिकायत करने वाले कामगार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, द्वारा, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण का समाधान होने तक, सत्यापित की जाएगी।

55. किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को धारा 94 की उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत करने की रीति.– जहां कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उद्योग जिसमें कामगार नियोजित हैं, में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उससे सम्बद्ध किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के अधीन किसी कार्यवाही, जिसमे कामगार एक पक्षकार हो, में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्ररूप 12 में प्राधिकृत किया जा सकेगा।

56. किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व देने के लिए धारा 94 की उप–धारा (2) के अधीन नियोक्ता को प्राधिकृत करने की रीति– जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संगम का सदस्य नहीं है, तो वहाँ वह इससे सम्बद्ध नियोक्ताओं के किसी संगम या उस उद्योग में विनियोजित किसी अन्य नियोक्ता द्वारा, जिसमें किसी वाद से सम्बन्धित संहिता के किसी कार्यवाही में,

जिसमें नियोक्ता एक पक्षकार है, में नियोक्ता उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियोजित है, प्ररूप XII में किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

57. जांच करने की धारा 85 की उप–धारा (1) के अधीन रीति.–

शिकायत– (1) धारा 86 की उप–धारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और 20 और धारा 89 की उप–धारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसे धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच अधिकारी कहा गया है) द्वारा जांच की जाएगी।

(2) नोटिस को जारी करना– यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड/रजिस्ट्रीकृत पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पोर्टल पर उसकी पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ निर्दिष्ट तारीख को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकेगा।

(4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकेगा।

परन्तु शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दी जा सकेगी:

परन्तु यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यथास्थिति, पक्षकार या किसी भी पक्षकार को स्वविवेकानुसार सुनवाई की अनुमति देगा।

(5) प्राधिकार प्रदान करना–धारा 85 की उप–धारा (2) के अधीन किसी भी व्यक्ति की ओर से हाजिर होने का प्राधिकार ,यथास्थिति, प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र द्वारा दिया जाएगा जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

(6) हाजिर होने की अनुज्ञा–कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में हाजिर होने की आशय रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इन्कार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकार्ड में शामिल करेगा।

(7) दस्तावेजों की प्रस्तुति– शिकायत या शिकायत से सुसंगत अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा नियत घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को वैयक्तिक रूप से स्वयं प्रस्तुत किए जा सकेंगे, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकेंगे।

(8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का पृष्ठांकन,यथास्थिति, करेगा या पृष्ठांकित करवाएगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) शिकायत ग्रहण करने से इन्कार करना–

(i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई शिकायत को ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी का समाधान हो गया है, तो कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाना है कि–

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है; या

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(ii) जांच अधिकारी शिकायत ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से त्रुटि का परिशोधन करने के लिए कह सकेगा और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को परिशोधित नहीं किया जा सकता है तो वह त्रुटि को दर्शाते हुए शिकायत वापस कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो त्रुटि को दर्शाते हुए उसे तुरन्त वापस कर देगा। यदि त्रुटि का परिशोधन करने के पश्चात् शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप–धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख समझा जाएगा।

(10) कार्यवाहियों का अभिलेख– जांच अधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करते समय ब्यौरे का विवरण अर्थात् शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विरोधी पक्षकार पक्षकारों का नाम और पता , किए गए अपराध का धारा–अनुसार विवरण, विरोधी पक्षकार (विपक्ष) की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर सहित अधिरोपित शास्ति तारीख और स्थान की विशिष्टियां का वर्णन करेगा।

(11) शक्तियों का प्रयोग– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के सुसंगत आदेशों द्वारा प्रक्रिया की बाबत उसके मूल–भाव को प्रभावित किए बिना उन्हें मामले को अनुकूलन करने और ऐसे मामले से बचाने के लिए जहां वे इस संहिता या इन नियमों के अभिव्यक्त

उपबन्धों के विरूद्ध हैं, ऐसे परिवर्तन सहित जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे, मार्गदर्शित किया जाएगा।

(12) आदेश या निर्देशन कब किया जाना है– जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ नियत किए जाने वाली आगामी तारीख का आदेश या निर्देश दे सकेगा।

(13) दस्तावेजों का निरीक्षण– कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विरोधी पक्षकार हो अथवा उसका प्रतिनिधि या उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को किसी भी शिकायत, या जांच अधिकारी के पक्ष दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

58. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, के कार्यालय को धारा 99 की उप–धारा 2 के खंड (ययच) के अधीन प्रत्येक प्ररूप की प्रति की प्रस्तुति.– प्ररूप 15 (हड़ताल का नोटिस), प्ररूप 16 (तालाबंदी का नोटिस), प्ररूप–17 (राज्य सरकार को छटनी या बंद करने की सूचना के लिए नोटिस) प्ररूप–18 (नौकरी से हटाने या छटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन), और प्ररूप 19 (अपराधों का प्रशमन) की एक–एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

प्ररूप–1

(नियम 3 देखें)

(सुलह कार्यवाही के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य सुलह/या समझौता प्रक्रिया से अन्यथा किसी अन्य तरीके से हुए समझौता का ज्ञापन)

पक्षकारों का नाम :

.....नियोक्ता का प्रतिनिधि

.....कामगारों का प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण

.....

समझौते की शर्तें

.....

पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षियों :

(1)

(2)

सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य समझौता हो जाता है तो मामले मे ज्ञापन की प्रति क्षेत्र के सम्बन्ध श्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।

प्ररूप–2

(नियम 8 देखें)

सेवा में,

ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

रजिस्ट्रार,

ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

तारीख.....तारीख..... 2020

1. हम, ...के नाम से ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एतद्द्वारा आवेदन करते है।
2. .....यूनियन के मुख्यालय का पता।
3. यूनियन.....दिन .....को अस्तित्व में आई है।
4. .....(व्यवसाय) या उद्योग में लगे यूनियन के कर्मचारी/कामगार की यूनियन है।
5. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां अनुसूची 1 में दी गई है।
6. अनुसूची 2 में दी गई विशिष्टियां औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) (ख) में ब्यौरेवार मामलों के लिए नियमों में किए गए उपबंध दर्शाते हैं ।

7. उन यूनियनों की दशा में, जो आवेदन की तारीख से एक वर्ष पूर्व में अस्तित्व में नहीं है बाहर किया जाना है। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (2) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियाँ अनुसूची 3 में दी गई है।
8. हमें.....द्वारा इस आवेदन को करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है।

क्रम संख्या	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पता
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

कथित करें कि क्या प्राधिकार यूनियन की साधारण बैठक के प्रस्ताव द्वारा दिया गया था यदि नहीं तों इसे किस अन्य तरह से दिया गया था।

अनुसूची 1

अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	नाम	आयु	पता	व्यवसाय

टिप्पण– यूनियन के कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के नाम को इस अनुसूची में दर्ज करे, स्तम्भ 1 में उनके (पदाधिकारियों) कार्यकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त उनके द्वारा धारित पद (जैसे अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सचिव सहित आदि) के नाम दर्शाएं।

अनुसूची 2

स्तम्भ 1 में ब्यौरेवार कई मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए नियमों की संख्या नीचे स्तम्भ 2 में दी गई है:-

क्रम संख्या	मामला	नियमों की संख्या
1.	यूनियन का नाम	
2.	वे सभी विषयों जिनके लिए यूनियन स्थापित की गई है	
3.	वे सभी प्रयोजन जिनके लिए यूनियन की साधारण निधियाँ उपयोज्य होंगी।	
4.	सदस्यों की सूची का अनुरक्षण ।	
5.	[पदाधिकारियों] और सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए प्रदान की गई प्रसुविधाएं।	
6.	साधारण सदस्यों का प्रवेश	
7.	अवैतनिक या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश	
8.	वे शर्तें जिन के अधीन किसी ऐसे फायदे के हकदार होंगे जिसका आश्वासन नियमों द्वारा दिया गया है।	
9.	वे शर्तें जिनके अधीन जुर्माना या समपहरण अधिरोपित फेरफारित किया गया है।	
10.	वह रीति जिससे नियमों को संशोधित, (परिवर्तित) या पुनरूदीप्त किया जाएगा।	
11.	वह रीति जिससे यूनियन के कार्यकारिणी के सदस्यों और यूनियन के अन्य (पदाधिकारियों) को नियुक्त किया जाएगा और हटाया जाएगा।	
12.	निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा	
13.	खातो की वार्षिक लेखा संपरीक्षा	
14.	अधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा वहियों के निरीक्षण के लिए प्रसुविधाएं	
15.	वह रीति जिससे यूनियन को भंग किया जा सकेगा।	
16.	[हड़ताल घोषित करने की प्रक्रिया]	

अनुसूची 3

यदि रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्ष से कम समय से पहले अस्तित्व में आती है तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है।

.....दिन.....201 को दायित्व और आस्तियों का विवरण

दायित्व	आस्तियां
रूपए	रूपए
ए.पी	ए.पी
साधारण निधि की रकम	नकद:–
राजनैतिक निधि की रकम	कोषाध्यक्ष के पास
	सचिव के पास
.....	बैंक के पास
.....	
.....	

से ऋण.....बैंक प्रतिभूति निम्न सूची के अनुसार

.....

.....

से देय ऋण अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट किए जाए) ऋण के कारण असंदत्त अभिदाय

अचल सम्पति, माल

और फर्नीचर, अन्रू परिसम्पतियां

(विनिर्दिष्ट की जाए)

....

कुल दायित्व

कुल परिसम्पतियां

प्रतिभूतियों की सूची

विशिष्टियाँ	अभिहित मूल्य	बाजार मूल्य	के पास

प्ररूप–3

(नियम 10 (1) देखें)

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

क्रम संख्या		अधिकारी					
यूनियन का नाम मुख्यालय का पता रजिस्ट्रीकरण की तारीख	कार्यालय का वर्ष	नाम	प्रवेश के समय आयु	पता	व्यवसाय	कार्यालय से पदमुक्त होने का वर्ष	कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त धारित अन्य कार्यालयों सहित तारीख

आवेदन प्ररूप की संख्या:

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची

1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

प्ररूप–4

(नियम 10 (2) देखें)

ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या.....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि.....औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अन्तर्गत इस .....दिन.....2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

मोहर

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

प्ररूप–5

(नियम 13 (1) देखें)

नाम परिवर्तन की सूचना

पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः–

तारीख..... दिन को.....2020

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 24 के उपबन्ध का अनुपालन.....परिवर्तित किए गए उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन के नाम सहित किया गया है।
सदस्यों की सहमति निम्न द्वारा प्राप्त की गई थी

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित	सचिव (पदाधिकारी)	सदस्य
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

प्ररूप–6

(नियम 13 (2) देखें)

ट्रेड यूनियन के समामेलन की सूचना

अ. ट्रेड यूनियन का नाम:

रजिस्ट्रीकरण संख्या:

आ. ट्रेड यूनियन का नाम:

रजिस्ट्रीकरण संख्या:

.....तारीख.....दिन को 2021

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 24 की अपेक्षा के अनुसार उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्यों (या प्रत्येक) ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन के रूप में समामेलन करने का संकल्प लिया है। और उक्त समामेलन के निबन्धन निम्नलिखित है

(निबन्धन कथित करें)

और यह आशयित है कि ट्रेड यूनियन को अब से ..... कहा जाएगा, इस सूचना के साथ समामेलित ट्रेड यूनियन द्वारा से अब अंगीकृत किए जाने के लिए आशयित नियमों की एक प्रति जो यूनियन के नियम (यदि हो) होगे भी है।

(प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना)

सदस्यों की सहमति निम्न प्राप्त की गई थी

नाम और पता (हस्ताक्षरित) जिससे रजिस्ट्रीकृत प्रति भेजी जानी है	1. सचिव (पदाधिकारियों) 2. सदस्यों 3. 4. 5. 6. 7. 8.

प्ररूप–7

(नियम 14 देखें)

ट्रेड यूनियन को विघटित (भंग) करने की सूचना

रजिस्ट्रीकरण संख्या:– पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का नाम
तारीख..... दिन को.....2021

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन.....दिन.....2020 को नियमों के अनुसरण में विघटित कर दी थी। हमें, यूनियन द्वारा इस निमित्त इस सूचना को अग्रेषित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसा प्राधिकर..... तारीख दिन को.....2021 की साधरण बैठक मे संकल्पों से मिलकर पारित किया गया है।

सदस्यों की सहमति निम्न प्राप्त की गई थी

1. सचिव (पदाधिकारी)	हस्ताक्षरित
2. सदस्य	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

प्ररूप–8

(नियम 16 देखें)

(ट्रेड यूनियन के लिए प्ररूप)

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 की धारा 26 (1)(क) के अधीन विहित वार्षिक विवरणियाँ

भाग अ

1. यूनियन का नाम.....
2. यूनियन का पता.....
3. रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय.....
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख.....
5. उद्योग का श्रेणीकरण (संलग्न उद्योग की अनुसूची के अनुसार दर्शाए है).....
.....
6. सेक्टर का श्रेणीकरण (कृपया कथित करें कि यूनियन निम्नलिखित चार प्रवर्गों में से किससे सम्बन्धित है).....
   (अ) पब्लिक सेक्टर.....केन्द्रीय क्षेत्र;
   (आ) पब्लिक सेक्टर.....राज्य क्षेत्र;
   (ग) पब्लिक सेक्टर.....साधारण क्षेत्र; और
   (घ) पब्लिक सेक्टर.....राज्य क्षेत्र;
7. अखिल भारती निकाय/संघ का नाम जिससे सहबद्ध.....
8. सहबद्ध संख्या.....
9. वर्ष के दौरान संदत्त सहबद्ध फीस .....
10. सहबद्ध फीस के संदाय के लिए प्राप्ति की संख्या और तारीख.....
11. प्रतिमास सदस्यता फीस .....
12. वर्ष के आरम्भ में बहियों पर सदस्यों की संख्या.....
13. वर्ष के दौरान प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या.....
14. वर्ष के दौरान सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या .....
15. वर्ष के अन्त (अर्थात् 31 मार्च 2021 तक) में बहियों पर सदस्यों की संख्या.....
    पुरूष महिलाएं कुल.....
16. राजनैतिक निधि में अभिदाय करने वाले सदस्यों की संख्या.....
17. सदस्यों की संख्या जिन्होने सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपना अंशदान संदत्त किया है.....

18. इस विवरणी के प्रेषण की तारीख तक ट्रेड यूनियन के नियमों की सही की गई प्रति संलग्न है.....

19. विवरणी के दूसरी तरफ का भाग–आ सम्यक् रूप से पूरा किया गया है।

तारीख.....अध्यक्ष / महासचिव

टिप्पण.– (1) यदि संघ एक से अधिक प्रवर्ग के अन्तर्गत आता है तो प्रत्येक प्रवर्ग में सदस्यता का दावा पृथकतः दर्शाया जा सकेगा।

टिप्पण.– यूनियनों का नाम विन्हित पृथक विवरणियाँ 'अ' 'आ' 'इ' 'ई' में दिए जाने चाहिए।

भाग आ

31 मार्च 20.....को दायित्वों और परिसम्पत्तियों का विवरण

दायित्व	रूपए	परिसम्पत्तियां	रूपए
सधारण निधि की रकम		नकद	
राजनैतिक निधि की रकम		कोषाध्यक्ष के पास	
से ऋण.....		सचिव के पास	
		के पास	
		बैंक मे	
		बैंक मे	
		प्रतिभूतियाँ निम्न सूची के अनुसार	
		के लिए देय असंदत्त अंशदान	
		(क) वर्ष	
		(ख) पूर्ववर्ती वर्ष	
		को ऋण	
		(क)अधिकारियों	
		(ख)सदस्यों	
		(ग)अन्य	
..... को देय ऋण		अचल सम्पति	
अन्य दायित्व (दर्शाए जाने हैं)		माल और फर्नीचर	
		अन्य परिसम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट की जानी है)	
कुल दायित्व		कुल दायित्व	

प्रतिभूतियों की सूची

विशिष्टियाँ	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	उस तारीख को बाजार मूल्य जिस को खाते बनाए गए है।	के पास

साधारण निधि खाता

				खजाना
		व्यय		
वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	रूपए	अधिकारियों के वेतन, भत्तों और व्यय	रूपए	
सदस्यों से अभिदान (वर्ष के लिए देय असंदत्त अंशदानों सहित)		यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ता और स्थापनों का व्यय		
		संपरीक्षक की फीस		
		विधिक व्यय		
(क) प्राप्त अभिदान		ट्रेड विवादों का संचालन करने में किया गया व्यय		
(ख) तीन मास या उससे कम समय के लिए बकाया अभिदान		अंतिम संस्कार वृद्धावस्था, बीमारी बेरोजगारी ट्रेड विवादों से उदभूत क्षति के लिए सदस्यों को संदत्त प्रतिकर प्रसुविधाएं आदि।		
(ग) तीन मास से अधिक समय के लिए बकाया अभिदान		शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधाएं		
दान पत्रिकाएं, पुस्तिकें नियमों आदि के विक्रय पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत				
विविध स्त्रोतों से निवेश, आय पर ब्याज (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 15 के अधीन किराया, दरों और करों, लेखन मुद्रण और डाक महसूल पर उपगत व्यय (विर्दिष्ट किया जाना)		
		अन्य व्यय (विर्दिष्ट किया जाना है)		
		वर्ष के अन्त में अतिशेष		
कुल		कुल		

राजनैतिक निधि खाता

	रूपए		रूपए
वर्ष के आरम्भ में अतिशेष		औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया संदाय (पूर्णत विनिर्दिष्ट किया जाना है)	
सदस्यों से अंशदान....प्रति सदस्य		प्रबन्धन का व्यय (पूर्णतः विनिर्दिष्ट किया जाना है) वर्ष के अन्त मे अतिशेष	

कोषाध्यक्ष

लेखापरीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरधारी ट्रेड यूनियन की सभी बहियों और लेखों तक अभिगम्यता और पूर्ववर्ती विवरणियों की जांच और उससे संबन्धित लेखा बाउचर से सत्यापन करने के पश्चात, उसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन इसके सम्यक रूप से प्रमाणित, निधि के अनुरूप और सही होने पर हस्ताक्षर करता हूं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ट्रेड यूनियन ने इसको सदस्यता रजिस्टर और इसके लेखें उचित रूप से अनुरक्षित किए है और यूनियन की साधारण निधि की पूर्ववर्ती विवरणी में दर्शित के अनुसार, इसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन सदस्यों ने ट्रेड यूनियन की सदस्यता शुल्क अदा कर दिया है।

लेखा परीक्षक

वर्ष के दौरान पदाधिकारियों के निम्नलिखित बदलाव हुए।

पदाधिकारियों का नाम (पदधारी का)	पदाधिकारी पद युक्त होने की तारीख

नियुक्त (पदाधिकारी)

नाम	जन्म की तारीख	निजि पता	व्यक्तिगत व्यवसाय	ट्रेड यूनियन में धारित पदवी या दर्जा	तारीख जिस को स्तम्भ 5 में निगुक्ति की गई थी	कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त धारित किए गए अन्य पद सहित तारीख
1	2	3	4	5	6	7

निर्वाचन

पदाधिकारियों के अंतिम निर्वाचन (चुनाव) की तारीख.....

पदधारियों के आगामी निर्वाचन (चुनाव) की तारीख.....

अध्यक्ष / महासचिव

प्ररूप–9

(नियम 22 (1) देखें)

सदस्यता और अंशदान का रजिस्टर

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	स्थापन का नाम जिसमें नियोजन है	नामांकन की तारीख	अंशदान की दर	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर

जनवरी	फरवरी	मार्च	वर्ष का कुल अंशदान	सदस्यता समाप्ति की तारीख	टिप्पणी

प्ररूप–10

(नियम 32 देखें)

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम.....

पता.....

तारीख.....दिन.....

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 40 (1) के अनुसार मैं/हम सभी सम्बन्धितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए मामले के सम्बन्ध में कामगारों को लागू सेवा शर्तों में.....से उपाबंध में विनिर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को प्रभावी करने का आशय रखते है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

उपाबंध

(प्रभावित होने वाले आशयित परिवर्तन/परिवर्तनों को यहां विनिर्दिष्ट करें)

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, यदि कोई हो।
2. सम्बन्ध श्रम अधिकारी।

प्ररूप–11

(स्वैच्छिक मध्यस्थत के लिए करार)

(नियम 33 देखें)

.....नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम और

.....कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

के बीच

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थतता के लिए .....(यहां मध्यस्थ के नाम और पता का उल्लेख करें) को भेजने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले

(ii) अन्तवर्लित स्थापन या उपकम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षकारों के ब्यौरे।

(iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वंय विवाद में शामिल हों या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम।

(iv) प्रभावित उपकम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या।

(v) विवाद से प्रभावित या सम्भाव्य प्रभावित होने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या।

हम सहमत है कि मध्यस्थों के अंधिकांश निर्णय हम पर बाध्य कर है यदि मध्यस्थ अपने में बराबर विभाजित होतें है तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति को अधिननिर्णायक नियुक्त करेगें जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होगा।

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से (पक्षकारों द्वारा करार की अवधि उल्लिखित करें) .....की अवधि के भीतर या हमारे मध्य लिखित रूप में आपसी करारों द्वारा आगे बढायें गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा। यदि, उपयुक्त उल्लिखित अवधि के भीतर भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और हम नये मध्यस्थ से समझौता वार्ता करने के लिए मुक्त हो जाएंगे।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व/कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षी :

1.....

2.....

प्रतिः (i) सुलह अधिकारी [(संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय पता लिखें]

(ii) सचिव, (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्ररूप–12

(नियम 35 नियम 55 और 56 देखें)

(इस संहिता के अधीन प्राधीकरण के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां सम्बद्ध प्राधिकारी का उल्लेख करें)।

इस सम्बन्ध में: (कार्रवाई का नाम उल्लिखित करे)

.....कामगार

बनाम.....नियोक्ता

मैं/हम श्री/सर्वश्री 1. .....2. .....3. .....(यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व है) को उपयुक्त मामले में मुझे/हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

तारीख.....दिन.....20.....

नामनिर्देशित प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता

प्ररूप–13

(नियम 36 के उप नियम 21 और नियम 37 के उप नियम 21 देखें)

राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो भी लागू हो)

मैं, अ, आ राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना राज्य औद्योगिक (अधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूगां और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूगां।

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

प्ररूप–14

(नियम 38 का उप नियम 5 देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

.....(यहां सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष।

.....आवेदक

पता.....

बनाम

.....विपक्षी पार्टी (विरोधी पक्षकार)

पता.....

उपर्युक्त आवेदक के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूं:

(यहां मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थियों को उल्लिखित करें)।

आवेदक वर्तमान विवाद को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है।

तारीख.....

स्थान.....

प्ररूप–15

(नियम 39 देखें)

(यूनियन (यूनियन का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा दी जाने वाली हडताल की सूचना)।

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम.....

तारीख.....दिन.....20.....

सेवा में,

(नियोक्ता का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 62 की उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपबंध में बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते है कि मैं/हम तारीख..... 20.....को हडताल करने/पर जाने का आह्वान करते है।

भवदीय,

(यूनियन का सचिव)

संलग्न संकल्प द्वारा.....तारीख को आयोजित बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि

संलग्न

मामले का कथन।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है:

1. सम्बन्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।
2. श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश।

प्ररूप–16

(नियम 40 देखें)

(औद्योगिक स्थापन के किसी नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम.....

पता.....

तारीख.....दिन.....20.....

संहिता की धारा 62(6) के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि उपबंध में बताए गए कारणों के लिए .....से मेरे/हमारे द्वारा स्थापन ....विभाग (गों) में तालाबंदी करने का आशय है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

उपबंध

1.	कारणों का विवरण

प्रति अग्रेषित :

(1) रजिस्ट्रीकृत यूनियन के सचिव यदि कोई हो।

(2) सुलह अधिकारी.....[यहां संबंधित क्षेत्र के श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक के कार्यालय का पता दर्ज करें]

(3) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

(4) डीजी श्रम ब्यूरो का कार्यालय।

प्ररूप–17

(नियम 41 और 43 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को किसी नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाना है। अत्यावश्कता के मामले मे, पेपर पर नीचे दिये गए विहित प्रारूप मे)

औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता का नाम .....

श्रमिक पहचान संख्या.....

तारीख.....

(टिप्पण : समूचित सरकार को बंद करने/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः साठ दिन और बंद करने/छंटनी के आंरभ होने से तीस दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
शिमला–171002

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के अधीन मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते है कि मैं/हमने.....(दिन/माह/वर्ष) से कुल.....कामगारों में से .. ..कामगारों की छंटनी करने का विनिश्चय लिया है।

या

(बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74 (1) के अधीन मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते है कि मैं/हमने.....(औद्योगिक प्रतिष्ठापन या उपकम का नाम) को ....(दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का विनिश्चय लिया है। उन कामगारों की संख्या जिनकी सेवाएं औद्योगिक स्थापन या उपकम के बंद होने के कारण पर्यवसित हो जाएगी..... .....(कामगारों की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण .....
.....

3. इस संहिता की धारा 70 (क)*/धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कामगारों को ....(दिन/माह/वर्ष) से एक महीने का यथा अपेक्षित नोटिस लिखित में दिया गया है।

या

इस संहिता की धारा 75 (क)*/धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कामगारों यथा अपेक्षित नोटिस के बदले में .....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया है।

4. *मैं/हम* एतद्द्वारा घोशणा करते है कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि के अवसान पर या से पहले इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके सभी देय संदत्त कर दिया गया है/करेंगें।

या

मैं/हम एतद्द्वारा कथित करते है कि वर्तमान में उक्त औद्यागिक स्थापन/उपकम/नियोक्ता की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि *मैं/हम* संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ समान देयों का अंदाय करेगें।

5. (छंटनी) *मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करते है कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में सबंधित कामगारो की छंटनी की गई है/ की जाएगी।

6. *मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करते है कि इस विषय में कोई न्यायिक मामला किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है, और यदि है, तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. *मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करते है कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे*/हमारे* द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सही है, मै*/हम* इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से दायी है और इस विषय में किसी तथ्य/प्रमाण को छुपाया नहीं गया है

भवदीय,

(मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ो और भाब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपि:

(1) महानिदेशालय श्रम ब्यूरो का कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल संख्यांकि प्रयोजन के लिए)।

(2) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

(3) सम्बद्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।

(4) प्रतिष्ठानों या उपकमों में कार्यरत कामगारों के रजिस्ट्रीकृत यूनियन/प्राधिकृत प्रतिनिधि।

प्ररूप–18

(नियम 44, 47 और 49 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक स्थापन/उपकम द्वारा दिए गए कामबंदी/के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी की अनुमति के लिए आवेदन]

(ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता की दशा में निम्न विहित प्रपत्र में) औद्योगिक स्थापन या उपकम या नियोक्ता का नाम.....

श्रमिक पहचान पत्र.....

दिनांक.....

(टिप्पणः राज्य सरकार को आवेदन निम्न दर्शाये गए रूप मे देना होगाः

कामबन्दी–आशयित कामबंदी से कम से कम 20 दिन पूर्व।

कामबंदी जारी रहना– पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पूर्व छंट-नी.....

.....छंटनी के आशयित तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व

तालाबंदी– तालाबंदी के आशयित तारीख से कम से कम 90 दिन पूर्व)

सेवा में,

सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,

श्रम एवं रोजगार विभाग,

शिमला–171002

1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अधीन मैं*/ /हम* एतद्द्वारा .....(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों (उपाबंध मे दिये गए ब्यौरे) में नियोजित कुल .....कामगारों मे से .....कामगारो से कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते है।

या

*(कामबंदी जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अधीन मैं/हम एतद्द्वारा.....(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (उपाबंध मे दिये गए ब्यौरे) में कुल.....कामगारों में से .....कामगारों के कामबंदी के जारी रख-ने की अनुगति के लिए आवेदन करते है।

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के अधीन मैं/हम एतद्द्वारा .....(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (उपाबंध मे दिये गए ब्यौरे) में कुल.....कामगारों मे से .....कामगारों की छंट-नी की अनुमति के लिए आवेदन करते है।

या

(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत मैं/हम एतद्द्वारा यह सूचित करते है कि मैं*/हम* .....(दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम.....

.....(औद्योगिक प्रतिश्ठापन या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (उपाबंध मे दिये गए ब्यौरे) तालाबंदी करने

की वाछाँ रखते है। उपक्रम के बंद होने पर जिन कामगारों की सेवा पर्यवसित हो जाएगी उनकी संख्या.....है (कामगारों की संख्या)।

2. *(तालाबंदी/तालाबंदी जारी रहना) इस संहिता की धारा 78 (2)*/ धारा 78 (3) के ....(दिन/माह/वर्ष) के अधीन कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में. भी अपेक्षित है।

या

(छंटनी/बंद करना) इस संहिता की धारा 79/ धारा 80 के अधीन कामगारों को..... .....(दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के बदले एक माह का वेतन देना अपेक्षित है।

3. उपाबंध II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा।

4. (छंटनी) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते है कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिये जाएंगे।

5. मैं*/हम* एतद्द्वारा यह घोषित करते है कि संबंधित कामगारों की नोटिस अवधि के अवसान पर या से पहले इस संहिता की धारा 78 (10)*/ धारा 79*/ धारा 80* के साथ पठित धारा 67 के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके सभी देय संदत्त कर दिया गया है/करेंगें।

मैं*/हम एतद्द्वारा यह कथित करते है कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी की और मै/हम संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ सभी देयों का संदाय करेगें।

या

6. मैं*/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं कि/करते है कि इस मामले से कोई न्यायिक मामला किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करते है कि इस नोटिस और अनुलग्नक मे मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और मामले में कोई तथ्य सामाग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुज्ञा प्रदान की जाए।

भवदीय,

(मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ो और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

उपाबंध–1

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1.	पूरा डाक पता, ई–मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहिता उपक्रम का नाम	
2.	उपक्रम की परास्थिति– (i) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/इत्यादि (ii) क्या एक निजि लिमिडिट कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म (iii) क्या उपक्रम के पास अनुज्ञप्ति है/रजिस्ट्रीकृत है और यदि हां तो, अनुज्ञप्ति देने/ रजिस्ट्रीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या	
3.	(क) एमसीए संख्या (ख) जीएसटीएन संख्या	
4.	(i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन– (ii) पूर्ववर्ती 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी मासिक ब्यौरे	
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि संबंधित ब्यौरे सहित स्थापन/उपक्रम की	संलग्न करना है।

	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
6.	एक ही प्रबंधन के अधीन अतः संबद्ध कम्पनियों या कम्पनियों के नाम	
7	प्रत्येक ऐसी कामबंदी छंटनी/कामबंदी की निरंतरता में अन्तवर्लित ऐसी कामबंदी/छंटनी में कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों मे की गई कामबंदी/छंटनी का ब्यौरा	
8.	किसी भी अन्य सुसंगत विवरण, जिसका संबंध कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता/छंटनी/तालाबंदी होने पर है।	

उपाबंध–II

(प्रभावित कामगारों का ब्यौरे)

क्रम संख्या	यूएएन/ सीएमपीएफओ	कामगार का नाम	वर्ग अतिकुशल/ कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल	तारीख जिसमें उक्त स्थापन/उपक्रम /नियोक्ता के साथ सेवा में है।	आवेदन की तारीख से वेतन	टिप्पणियां
1						
2						
3						

प्ररूप–19

(नियम 52 देखें)

इस संहिता के अधीन नियोक्ता जिसने पहली बार अपराध किया है, के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन अपराध का शमन करने के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप–धारा एक के अधीन अधोहस्ताक्षरित और प्रशमन अधिकारी, एतद्द्वारा यह सूचित करते है कि इस संहिता के विभिन्न उपबंधो के उल्लघंन के लिए नीच दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया है:–

भाग–I

1. अपराध करने वाले का नियोक्ता का नाम और पता.....
2. स्थापन का नाम.....
3. अपराध की विशिष्टियां.....
4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है.....
5. अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि.....

भाग–II

औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार शमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग–III में सम्यक् रूप से भरे गए आवेदन सहित इस नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त वर्णित राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में असफल रहते है, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा .....के अधीन अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख :.....

स्थान: .....

भाग–III

अपराध का प्रशमन करने के लिए धारा 89 की उप–धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन नियोक्ता, जिसने अपराध किया है, का नाम वर्णित करना है) .....
2. आवेदक का पता .....
3. अपराध की विशिष्टियां.....
4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है.....

5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें).....

6. अभियोजन का ब्यौरा, उपरोक्त वर्णित अपराधों के उल्लघंन के लिए यदि दर्ज है, को दिया जा सकता है। .....

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो , उस अपराध का पूरा ब्यौरा दें।.....

8. अन्य कोई सूचना जिसको आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है.....

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

फॉर्म–20

(नियम 54 (1) देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/अधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण .....के समक्ष.

इस विषय में .....सदर्भ संख्या .....

अ ..... शिकायतकर्ता

बनाम

आ..... विरोधी पक्षकार (पक्षकारों)

व्याख्यान: याचिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के उपबंधो के उल्लघंन करने पर विरोधी पक्षकार/(पक्षकारों) के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(यंहा अभिकथित उल्लघंनो को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित है और प्रबंधन के आदेश या कृत्य को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता तद्नुसार सुलह अधिकारी/मध्य स्तम्भ/औद्योगिक न्यायधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उपलिखित शिकायत पर विनिश्चिय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसें आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते है।

औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के अधीन अपेक्षित शिकायत और उसके उपाबंध की प्रतिलिपियों की संख्या इसके साथ प्रस्तुत की जाती है।

यह तारीख .....दिन.....20.....शिकायतकर्ता/

(शिकायतकर्ताओं) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि कथित पैराग्राफ.....में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि कथित पैराग्राफ .....में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन में मेरे द्वारा वर्ष 20 .....के .....वें दिन .....में हस्ताक्षर किया जाता है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

आदेश द्वारा,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 3-5/2021 तारीख: शिमला-2 29 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति0 मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या एल. एण्ड ई. (लैब)/आई. आर. सी. 2020 दिनांक 02.02.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

30/09/2021

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)